

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/1897 /

जबलपुर, दिनांक 15/03/2022

IV-12-14/80 VII-Q

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के अनुसार श्री हरमीत सिंह, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर वर्तमान में पदस्थ मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, एम.पी. भवन, नई दिल्ली को दिनांक 07/08/2021 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

सही/-  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/1898 /

जबलपुर, दिनांक 15/03/2022

IV-12-14/80 VII-Q

### प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. Shri Dharmender Kataria, Asst. Liaison Officer, Chankya Puri Road, M.P. Bhawan, New Delhi की ओर सूचनार्थ प्रेषित,
7. श्री हरमीत सिंह, कोर्ट अटेंडेन्ट, पता—SUDESH#309C, MUNIRKA VILLAGE, KISHAN GARH, SOUTH WEST, DELHI-110067 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*२०३१/३१/२०२२*  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)